



2026:AHC-LKO:39921-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या – 4998 वर्ष 2026

शालू और एक अन्य

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ के माध्यम से एवं अन्य

.....विरोधी पक्षकार(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : संजय कुमार वर्मा, प्रमोद कुमार पाण्डेय

विरोधी पक्षकार(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 10

माननीय न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती बबीता रानी

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और राज्य- विरोधी पक्षकार संख्या 1, 2 और 3 की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
2. प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, विरोधी पक्षकार संख्या 4 को नोटिस भेजने की आवश्यकता नहीं है।
3. इस रिट याचिका में विरोधी पक्षकारों को याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न करने, परिवार के सदस्यों को परेशान न करने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देने हेतु परमादेश रिट की मांग की गई है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि दोनों याचिकाकर्ता बालिग हैं और उन्होंने 13.05.2026 को आर्य वैदिक धर्म संस्कार एवं समाज सेवा न्यास, सुरेंद्र नगर, लखनऊ में अपनी इच्छा से विवाह किया है। विवाह प्रमाण पत्र की एक प्रति इस याचिका के अनुलग्नक संख्या 1 के रूप में संलग्न है। याचिकाकर्ताओं के बालिग होने के प्रमाण स्वरूप, दोनों याचिकाकर्ताओं ने अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट संलग्न की है, जिसकी प्रतियां रिट याचिका के अनुलग्नक 2 और 3 के रूप में संलग्न हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि दोनों याचिकाकर्ता बालिग हैं। यह तर्क दिया गया है कि विरोधी पक्षकार संख्या 4 इस विवाह से प्रसन्न नहीं है और इस प्रकार वह याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में बाधा उत्पन्न कर रहा है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा है कि इस संबंध में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।

5. इस संदर्भ में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य - 2006 (5) एससीसी 475 मामले में दिए गए फैसले का उल्लेख करना उचित होगा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तर-17 में निम्नलिखित टिप्पणी की है:-

17... यह एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश है, और एक बार जब कोई व्यक्ति बालिग हो जाता है, तो वह जिससे चाहे उससे विवाह कर सकता है। यदि लड़के या लड़की के माता-पिता ऐसे अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाह को स्वीकार नहीं करते हैं, तो वे अधिकतम यह कर सकते हैं कि वे अपने बेटे या बेटी से सामाजिक संबंध तोड़ लें, लेकिन वे धमकी नहीं दे सकते, हिंसा नहीं कर सकते या हिंसा के कृत्यों को उकसा नहीं सकते और ऐसे अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाह करने वाले व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकते। इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि देश भर के प्रशासन/पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि यदि कोई बालिग लड़का या लड़की किसी बालिग महिला या पुरुष से अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाह करता है, तो दंपति को किसी के द्वारा परेशान न किया जाए, न ही उन्हें धमकी दी जाए या हिंसा के कृत्यों का शिकार बनाया जाए,

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

और जो कोई भी ऐसी धमकी देता है, परेशान करता है या हिंसा के कृत्यों को अंजाम देता है, चाहे स्वयं या उसके उकसावे पर, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस द्वारा आपराधिक कार्यवाही शुरू करके दंडात्मक कार्रवाई की जाए और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कानून द्वारा निर्धारित कठोर कार्रवाई की जाए।”

6. याचिकाकर्ताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण की भी अपील की है, जो गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
7. अतः, इस रिट याचिका का निस्तारण करते हुए विरोधी पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण जीवन और स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप न करें।
8. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि इस मामले में पहले से ही कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज है तो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्वतः ही निरस्त हो जाएगा।
9. हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की आयु या कथित विवाह की सत्यता/वैधता पर कोई निर्णय नहीं दिया है।
10. याचिकाकर्ताओं को आज से दो महीने के भीतर "उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियम, 2017" के तहत अपना विवाह पंजीकृत करवाना होगा।
11. संबंधित विवाह निबंधक को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ताओं को कानून के अनुसार यथाशीघ्र पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करें।

जून 2, 2026

पछेरे/-

(न्यायमूर्ति श्रीमती बबीता रानी) (न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।